



# पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय-1

## (नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)



शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार

खैराबाद, सीतापुर (उप्र0)-261131

E-Mail:-jnvstapur93@gmail.com

पत्रांक:एफ-3-4 / पीएमश्रीजनविखैसी / 2026-27

दिनांक: 25.05.2026

### निविदा सूचना (सत्र 2026-27 हेतु)

विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान सामग्री, सब्जी एवं फल, छात्र-छात्राओं की बाल कटाई, यूनीफार्म की प्रेस एवं धुलाई, बेकरी आइटम, दवाई एवं सर्जिकल आइटम्स (पंजीकृत थोक विक्रेता मेडिकल स्टोर पात्र होंगे), दैनिक उपयोग सामग्री, ए०एम०सी० (सी.सी.टी.वी., कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट एवं फोटो कॉपियर), टकशॉप, R.O. सिस्टम वाटर कूलर ए०एम०सी० के क्रय/कार्यार्थ हेतु पृथक-पृथक सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऐसी फर्म जो संबंधित वस्तुओं के व्यापार हेतु पंजीकृत है तथा वास्तविक रूप में व्यापार करती है, वे ही निविदा-प्रपत्र विद्यालय वेबसाइट <https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/SITAPUR-1/hi/home/> के माध्यम से प्रकाशन की तिथि से दिनांक 12.06.2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं अथवा किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक विद्यालय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। पूर्ण रूपेण साफ-साफ भरी हुई सीलबन्द निविदाएं दिनांक 15.06.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक पंजीकृत डाक/हस्तगत निविदा पेटिका में प्राप्त की जायेंगी। प्रत्येक निविदा के साथ वर्तमान आयकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट खाद्यान्य एवं बेकरी आइटम्स निविदा के साथ FSSAI प्रमाण पत्र एवं सब्जी एवं फल की फर्म को मण्डी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वांछित धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क रू0 500/- का ड्राफ्ट एवं यूनीफार्म की प्रेस एवं धुलाई तथा हेयर कटिंग निविदा शुल्क रू0 200/- होगा, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि 'प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद, सीतापुर' के नाम देय संलग्न करना होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ ही डाउनलोड कर संलग्न की जानी होगी जिनका अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक होगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.06.2026 को अपराहन 03:30 बजे क्रय सलाहकार उप समिति के समक्ष प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, खैराबाद, सीतापुर के कार्यालय में खोली जायेंगी। उक्त समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि नमूनों के साथ उपस्थित रहेंगे।

किसी भी निविदा अथवा पूर्ण निविदा प्रक्रिया को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार क्रय सलाहकार उप समिति/प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।

प्रभारी प्राचार्य